



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258404
CG-DL-E-01112024-258404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली बुधवार, अक्टूबर 30, 2024/ कार्तिक 8, 1946

No. 617]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि.675(अ).—दूरसंचार (एमेचर स्टेशन प्रचालक) नियम, 2024 का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (यज्ञ) के साथ पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1), की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447(अ), तारीख 24 जुलाई, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 24 जुलाई, 2024 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 25 जुलाई, 2024 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (यज्ञ), के साथ पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय बेतार टेलिग्राफ्स (एमेचर सेवा) नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया

है और उन नियमों के अधीन अवसान विद्यमान व्यवस्थाओं के निबंधन और शर्तों को अध्यारोहित किए बिना, जो ऐसी व्यवस्थाओं के अवसान की तारीख तक लागू रहेंगी, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (एमेचर सेवा) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं — (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) “एमेचर रेडियो उपस्कर” से एमेचर स्टेशन के प्रचालन के लिए अपेक्षित रेडियो उपस्कर अभिप्रेत है;

(ग) “एमेचर सेवाएं” से स्व-प्रशिक्षण, अंतरसंचार और तकनीकी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए रेडियो संचार सेवाएं अभिप्रेत हैं जो कि रेडियो तकनीक में रुचि रखने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल व्यक्तिगत उद्देश्य से और बिना किसी धनीय हित के हो ;

(घ) “एमेचर स्टेशन” से एमेचर सेवाओं के लिए किसी एमेचर द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशन अभिप्रेत है;

(ङ) “एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र” या “एएसओसी” से नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट एएसओसी (साधारण) और एएसओसी (प्रतिषिद्ध) अभिप्रेत हैं और “एएसओसी धारक” से वह व्यक्ति जिसे नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन ऐसा प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है, अभिप्रेत है;

(च) “अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय ” से 1992 में जेनेवा में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अभिसमय या तत्पश्चात किया गया कोई पुनरीक्षण या उपांतरण अभिप्रेत है, जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित या स्वीकृत किया है;

(छ) “पोर्टल” से केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम के 15 के अधीन अधिसूचित किये जाने वाला पोर्टल अभिप्रेत है; और

(ज) “रेडियो विनियम” से विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (जेनेवा 1995) द्वारा अंगीकृत किए गए विनियम अभिप्रेत हैं और उसमें किया गया प्रत्येक पुनरीक्षण या उपांतरण शामिल है, जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित या स्वीकृत किया है;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. कार्यक्षेत्र — (1) कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अधीन अनुदत्त एएसओसी के निबंधन और शर्तों के अनुसरण में या अधीन के सिवाय एमेचर स्टेशन स्थापित या प्रचालित नहीं करेगा।

(2) एएसओसी की निम्नलिखित दो प्रवर्ग होंगे, जिन्हें केंद्रीय सरकार नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन अनुदत्त कर सकेगी, अर्थात्:

(क) एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र (साधारण), या एएसओसी (साधारण); और

(ख) एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र (प्रतिषिद्ध), या एएसओसी (प्रतिषिद्ध)।

4. एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तें — (1) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन यथास्थिति, एएसओसी (साधारण) या एएसओसी (प्रतिषिद्ध), उस व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा जो भारत का नागरिक है, जो :

(क) बारह वर्ष से कम आयु का नहीं हो; और

(ख) जिसने एएसओसी अनुदत्त करने के लिए नियम 5 के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

परन्तु कि केंद्रीय सरकार प्रशासनिक अनुमति और समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, एएसओसी अनुदत्त करने पर विचार करने के लिए नियम 5 के

अधीन परीक्षा देने की अनुमति दे सकती है या उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर सकती है।

(2) केन्द्रीय सरकार, विदेश मंत्रालय की निबंधन तथा शर्तों और प्रशासनिक अनुमति के अधीन रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, तथा जिसके पास उस देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र है, जो नियम 6 के अधीन अनुदत्त प्रमाण-पत्र के समान है, इन नियमों के अधीन एएसओ प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में, एक हजार रुपये के फीस के साथ पोर्टल पर आवेदन करने की अनुज्ञा दे सकती है।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे राष्ट्रों की सूची विनिर्दिष्ट करेगी जिनके द्वारा अनुदत्त प्रमाण-पत्रों पर उप-नियम (2) के अधीन एएसओसी अनुदत्त करने के लिए विचार किया जाएगा।

5. एमेचर स्टेशन प्रचालक परीक्षा — (1) नियम 4 के अधीन घोषित यथा लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति एएसओसी अधिप्राप्त करने हेतु एमेचर स्टेशन प्रचालक की परीक्षा में शामिल होने के लिए केन्द्रीय सरकार को, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में पोर्टल पर ऐसी परीक्षा की तारीख से एक मास पहले आवेदन कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किसी भी आवेदन के साथ एक सौ रुपये का परीक्षा फीस देना होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी भी प्रवर्ग में एएसओसी अधिप्राप्त करने के लिए परीक्षा का कार्यक्रम, स्थान, रीति, तारीख और समय प्रकाशित करेगी, जैसा कि नियम 3 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट है, जिसमें ऐसी परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख भी शामिल होगी।

(4) ऐसी परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी, तथा एएसओसी (साधारण) के लिए परीक्षा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मोर्स कोड में प्रवीणता भी अपेक्षित होगी।

(5) इस नियम के अधीन परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए एएसओसी के प्रत्येक प्रवर्ग में कुल अंकों का न्यूनतम चालीस प्रतिशत लाना अपेक्षित है।

6. एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण पत्र का अनुदत्त तथा विधिमान्यता - (1) केन्द्रीय सरकार, नियम 5 के अधीन परीक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एमेचर स्टेशन प्रचालकों के लिए नीचे यथा विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, अनन्य कॉल साइन के साथ निम्नलिखित प्रवर्गों के प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी:

प्रमाण पत्र के प्रवर्ग	फीस
एएसओसी (साधारण)	(i) बीस वर्ष की विधिमान्य अवधि के लिए एक हजार रुपये;
एएसओसी (प्रतिषिद्ध)	(ii) आजीवन विधिमान्य के लिए दो हजार रुपये।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "आजीवन" से एएसओसी धारक के अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिप्रेत है।

(2) आवेदक द्वारा परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, किसी भी प्रवर्ग के एएसओसी के अनुदत्त के लिए संदाय, नियम 5 के अधीन परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर ऐसे आवेदक को कोई प्रमाण पत्र अनुदत्त नहीं किया जाएगा:

परंतु कि ऐसा आवेदक, जो एएसओसी अनुदत्त के लिए अपात्र हो जाता है, उक्त प्रमाण पत्र के अनुदत्त के लिए नियम 5 में निर्दिष्ट परीक्षा में पुनः उपस्थित होने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन एएसओसी अनुदत्त करने के लिए आवेदनों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार ऐसे आवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति के वीज़ा की अवधि के साथ सहविस्तारी अवधि के लिए या बारह महीने की अवधि के लिए, जो भी कम हो, एएसओसी अनुदत्त कर सकती है।

7. एमेचर स्टेशन प्रचालक के लिए लागू साधारण शर्तें - (1) एएसओसी धारक फ्रीक्वेंसी बैंड और एमिशन पर एमेचर स्टेशनों का प्रचालन करेगा और एएसओसी के प्रत्येक प्रवर्ग के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पावर पारेषित करेगा और एएसओसी (साधारण) के धारक को जैसा कि उसके एएसओसी में विनिर्दिष्ट किया जाए, एएसओसी (प्रतिषिद्ध) के धारक की तुलना में अधिक एमिशन टाइप और उच्च पावर के उपयोग की अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) प्रत्येक एमेचर स्टेशन को एएसओसी में विनिर्दिष्ट स्थान पर निम्नानुसार स्थापित और प्रचालित किया जाएगा,-

(क) यथा लागू, अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ख) इन नियमों के उपाबंध क में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय या रेडियो विनियमों के उपबंध।

(3) एएसओसी धारक को एमेचर रेडियो उपस्कर के आयात के लिए एक पृथक प्राधिकार की अपेक्षा नहीं होगी।

(4) केंद्रीय सरकार किसी भी समय एएसओसी धारक को लिखित रूप में विनिर्दिष्ट नोटिस द्वारा या उक्त नोटिस को पोर्टल पर अपलोड करने के द्वारा, एएसओसी की किसी भी शर्त को उपांतरित, परिवर्तित, रद्द या वापस कर सकती है।

(5) एएसओसी धारक, एएसओसी की शर्तों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए किसी भी व्यय का दावा नहीं करेगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(6) एएसओसी धारक, एक हजार रुपये की फीस के संदाय पर करके अपने एएसओसी की एक अनुलिपि जारी करने या एमेचर स्टेशन के स्थान को बदलने के लिए आवेदन कर सकता है।

(7) एएसओसी धारक, प्राकृतिक विपदा और आपदाओं के दौरान केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुरोध पर बिना किसी फीस या प्रभार के एमेचर सेवा फ्रीक्वेंसी बैंड में रेडियो संचार सेवाएं प्रदान करेगा।

(8) एएसओसी धारक को भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत पर एमेचर स्टेशन स्थापित करने और प्रचालित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक विनिर्दिष्ट अनुरोध करने के पश्चात अनुज्ञा दी जा सकती है।

8. एमेचर स्टेशन प्रचालक प्रमाण पत्र का नवीनीकरण- (1) एएसओसी धारक नियम 6 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के साथ इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में इस ऐसे प्रमाण पत्र के अवसान की तारीख से कम से कम बारह मास पहले आवेदन जमा करके अपने एएसओसी के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

परंतु कि ऐसी समय अवधि के अवसान के पश्चात और ऐसे अवसान की तारीख के दो वर्ष पश्चात तक नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन करना हो तो एक हजार रुपये के विलंब फीस के संदाय पर आवेदन किया जा सकता है;

परंतु यह भी कि नवीनीकरण के लिए एएसओसी के अवसान की तारीख से दो वर्ष के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) आजीवन प्रमाण पत्र की विधिमान्यता वाले एएसओसी को इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में एएसओसी धारक द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट अनुरोध पर बिना किसी अतिरिक्त फीस के एक बार में दस वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

9. एएसओसी का निलंबन या रद्दकरण – केंद्रीय सरकार किसी एएसओसी को निलंबित या रद्द कर सकती है यदि यह राय है कि, एएसओसी धारक:

(क) इन नियमों के अधीन अनुदत्त एएसओसी के निबंधनों और शर्तों या रेडियो उपस्कर के प्रचालन के संबंध में लागू नियमों या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का पालन करने में विफल रहा है; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय या रेडियो विनियमों के लागू उपबंधों का पालन करने में विफल रहा है, या

(ग) जानबूझकर केंद्रीय सरकार को गलत या असत्य सूचना प्रस्तुत की है।

परंतु कि इस नियम के अधीन निलंबन या रद्दकरण का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि एएसओसी धारक को ऐसे निलंबन या रद्दकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन देने या सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

10. फीस का प्रतिदाय नहीं - किसी भी कारण से एएसओसी के निलंबन या रद्दकरण या एएसओसी के निबंधनों और शर्तों के किसी भी उपांतरण, परिवर्तन, रद्दकरण या वापसी के परिणामस्वरूप कोई प्रतिकर या प्रतिदाय लागू नहीं होगा।

11. एएसओसी का अंतरण या अभ्यर्पण- (1) एएसओसी गैर-अंतरनीय है।

(2) एएसओसी धारक को किसी भी समय पर ऐसे एएसओसी का अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा होगी, परंतु कि ऐसे अभ्यर्पण के लिए फीस का प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

12. एमेचर सोसायटी की क्रियाकलापों के लिए एएसओसी का उपयोग-(1) कम से कम चार एएसओसी धारकों का एक समूह एमेचर स्टेशन की स्थापना और प्रचालन के प्रयोजन के लिए एमेचर सोसायटी बनाने के लिए इस प्रयोजन हेतु पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन तथा दो हजार रुपये के फीस का संदाय कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन में एएसओसी धारकों में से एक आवेदक को प्रस्तावित एमेचर सोसायटी के अभिरक्षक के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसी सोसायटी के भीतर ऐसी एमेचर सोसायटी की अभिरक्षता को परिवर्तित कर किसी अन्य एएसओसी धारक को दिए जाने की सूचना इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को दी जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार एमेचर सोसायटी के लिए एक विशिष्ट कॉल साइन के साथ, निबंधन और शर्तों के अधीन जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए अनुज्ञा दे सकती है, जो बीस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी या ऐसी एमेचर सोसायटी के अभिरक्षक के एएसओसी की विधिमान्यता, जो भी कम हो, के साथ सहविस्तारी होगी।

(4) यदि उप-नियम (1) के अधीन आवेदक में से कोई भी एमेचर सोसायटी छोड़ता है, तो उसके द्वारा ऐसी सोसायटी को छोड़ने से तीस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट प्ररूप में केंद्रीय सरकार को संसूचित किया जाएगा।

(5) इस नियम के अधीन दी गई अनुज्ञा तब तक विधिमान्य बनी रहेगी जब तक कि उप) नियम-1) के अधीन आवेदक एएसओसी धारकों में से कम से कम चार एमेचर सोसायटी के सदस्य बने रहते हैं।

13. विनिर्दिष्ट आयोजनों के लिए विशेष कॉल साइन जारी करना -(1) केंद्रीय सरकार, पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन प्राप्त होने और दो सौ रुपये की फीस का संदाय करने पर एएसओसी धारकों और नियम 12 के तहत गठित एमेचर सोसाइटियों को किसी विशिष्ट आयोजन के लिए एक विशेष कॉल साइन समनुदेशित कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, विशिष्ट आयोजन से कम से कम नब्बे दिन पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) उप नियम (1) के अधीन एक विशेष कॉल साइन विनिर्दिष्ट आयोजन के प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि तक विधिमान्य होगा।

परंतु कि यदि विनिर्दिष्ट आयोजन उक्त नब्बे दिनों की अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, तो एएसओसी धारक या एमेचर सोसायटी उप नियम (1) के अधीन विशेष कॉल साइन के लिए नए आवेदन कर सकते हैं।

14. अभिलेखों का निरीक्षण और सूचना मांगना - प्रत्येक एएसओसी धारक का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण के लिए अभिलेखों के साथ साथ एमेचर रेडियो-उपस्कर प्रस्तुत करे और उसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान कर सके।

15. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन - केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 को आगे बढ़ाते हुए, आवेदन प्रस्तुत करने, पाठ्यक्रम, परीक्षा का स्थान, रीति, तारीख और समय का प्रकाशन, परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा और इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट एएसओसी और अन्य अनुज्ञाएं प्रदान करने सहित इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल अधिसूचित करेगी।

उपाबंध क

(नियम 7(2)(ख) देखिए)

एमेचर स्टेशन की स्थापना और प्रचालन के लिए निबंधन और शर्तें

1. एमेचर स्टेशन का उपयोग- एमेचर स्टेशन का उपयोग, प्राधिकृत फ्रीक्वेंसी बैंड के भीतर एमेचर स्टेशन के प्रचालन को सुकर बनाने के लिए मानक फ्रीक्वेंसी और टाइम सिग्नल सर्विस में पारेषण को प्राप्त करने करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

2. संदेश -(1) (क) रेडियो संचार का आदान-प्रदान अन्य प्राधिकृत एमेचर स्टेशनों के साथ किया जा सकता है। एमेचर स्टेशन उन देशों के एमेचर स्टेशनों के साथ संचार नहीं करेंगे जिनके प्रशासन ने ऐसे रेडियो संचार पर अपनी आपत्ति के बारे में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय को अधिसूचित किया है।

(ख) पारेषण सरल भाषा में किया जाएगा तथा तकनीकी प्रकृति के संदेशों तक सीमित होगा।

(2) प्राधिकृत अस्तित्व निम्नलिखित संदेश पारेषित नहीं करेगी:

ब्रॉडकास्ट कार्यक्रमों (क) , टेप रिकॉर्डिंग या मनोरंजन के साधन या संगीत के पारेषण का पुनःउत्पादन;

(ख) झूठे या भ्रामक कॉल, सिग्नल्स, समाचार, विज्ञापन, कारबार की संसूचानाएं, राजनीतिक या औद्योगिक विवाद के विषयों पर कथन, या तीसरे पक्ष के संदेश; या

(ग) अभद्र, अश्लील, आपत्तिजनक भाषा या संकेतों का उपयोग।

(3) सामान्य दूरसंचार सुविधाओं की विफलता की दशा में एएसओसी धारक को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से संबंधित थर्ड पार्टी के संदेशों को संभालने की अनुज्ञा दी जा सकती है, जो सक्षम सिविल प्राधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिये गए हों और संबोधित हैं।

3. फ्रीक्वेंसी, उत्सर्जन और पावर - एमेचर स्टेशन का प्रचालन उन फ्रीक्वेंसी पर किया जाएगा जो संबंधित प्रवर्ग के प्रमाण पत्र के लिए प्राधिकृत फ्रीक्वेंसी बैंड के भीतर हैं और उत्सर्जन और पावर की ऐसी प्रवर्ग पर है जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट है।

4. फ्रीक्वेंसी नियंत्रण और माप-(1) ट्रांसमिटिंग साधन को यथा संभव सटीक रूप से ठ्यून किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकृत फ्रीक्वेंसी बैंड की सीमाओं के बाहर किसी भी फ्रीक्वेंसी पर किसी उर्जा का विकिरण ना हो।

(2) एएसओसी धारक के पास प्राधिकृत एमेचर स्टेशन पर फ्रीक्वेंसी को मापने वाला एक विश्वसनीय उपस्कर होगा ताकि प्रत्येक बार ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बदलने पर और जब भी यह जांचना आवश्यक हो कि ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी में उत्सर्जन प्राधिकृत फ्रीक्वेंसी बैंड के भीतर है को सत्यापित किया जा सके। एएसओसी धारक फ्रीक्वेंसी मापने वाले उपस्कर की सटीकता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(3) एमेचर स्टेशन के लिए यथा लागू फ्रीक्वेंसी आवंटन हेतु स्थायी सलाहकारी समिति (एसएसीएफए) की अनुमति अपेक्षित होगी।

5. हस्तक्षेप विहिन -(1) एमेचर स्टेशन को इस तरह से डिजाइन, निर्मित, स्थापित, अनुरक्षित और कार्यरत बनाया जाएगा कि किसी भी प्राधिकृत रेडियो संचार सेवा में कोई हस्तक्षेप न हो।

(2) स्टेशन द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति में एएसओसी धारक केन्द्रीय सरकार या किसी लैंड स्टेशन के अनुरोध पर उपस्कर के लंबित समायोजन तक पारेषण को बंद कर देगा या प्रतिबिंद कर देगा।

(3) एएसओसी धारक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उत्सर्जन का (डैम्प्ड वेव) उपयोग नहीं करेगा।

6. रेडियो सेवा की लॉग डायरी- (1) एमेचर स्टेशन से आने वाले या प्राप्त होने वाले सभी पारेषणों का कालानुक्रमिक अभिलेख बाउंड बुक (नॉट लूज- लीफ) में रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा नामतः:

(क) प्रत्येक पारेषण की तारीख और समय;

(ख) आदान-प्रदान किए गए संचार का सार;

(ग) किए गए प्रयोगों और परीक्षणों का संक्षिप्त विवरण;

(घ) उन स्टेशनों या स्टेशनों का कॉल साइन, जिनके साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया गया है प्रत्येक मामले में किए गए पारेषण का समय और प्रकार;

(ङ) एमेचर स्टेशन के खुलने और बंद होने का समय; और

(च) पोर्टेबल या मोबाइल एमेचर स्टेशन की दशा में अस्थायी स्थान की विशिष्टियां।

(2) लॉग में सभी समय भारतीय मानक समय में लिखे जाएंगे।

(3) लॉग में प्रविष्टियों के बीच कोई स्थान नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें प्राप्ति और पारेषण के समय तैयार और दर्ज किया जाएगा।

(4) एएसओसी धारक लॉग को नष्ट करने से पहले उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखेगा:

परंतु कि किसी भी लॉग को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए नष्ट नहीं किया जाएगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार निदेशित करे।

7. एमेचर रेडियो उपस्कर- (1) एमेचर स्टेशन ग्रहण के साथ-साथ पारेषण के परंतुक कि किसी भी लॉग को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए नष्ट नहीं किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय सरकार निदेशित करे। लिए भी तैयार होगा।

(2) एएसओसी धारक द्वारा उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित एमेचर रेडियो उपस्कर और अन्य उपसाधन इस तरह से सुव्यवस्थित किए जाएंगे ताकि किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा न हो और या किसी भी सेवा में / बाधा न आए।

(3) इन एमेचर रेडियो उपस्कर को सुरक्षित स्थिति में और ऐसी रीति रखा जाएगा जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों की उस तक पहुंच न हो।

(4) प्रत्येक एएसओसी धारक को उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले एमेचर रेडियो उपस्कर का अभिलेख नीचे विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार रखना होगा:

क्र. सं.	उपस्कर की विशिष्टियां			जिस व्यक्ति से प्राप्त किया गया है उसका नाम और पता (यदि प्राधिकृत संस्था द्वारा असेम्बल किया गया हो तो स्वनिर्मित लिखें)	प्राप्ति या असेम्बल की तारीख
	मेक	मॉडल और टाइप	क्रम सं.		
(1)	(2)			(3)	(4)
क्रय की दशा में रसीद संख्या दें और विक्रेता का प्रमाणपत्र- संख्या बताएं	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे विक्रय या अंतरित किया गया है।			विक्रय या अंतरण की तारीख	क्रेता के नाम पर जारी प्रमाण पत्र- की विशिष्टियां
					टिप्पणी

8. पत्राचार की गोपनीयता - यदि कोई ऐसा संदेश जिसे एएसओसी धारक प्राप्त करने का हकदार नहीं है, तो ऐसा एएसओसी धारक इसकी विषय-वस्तु, इसके स्रोत या गंतव्य, इसकी विद्धमानता या इसकी प्राप्ति के तथ्य को किसी व्यक्ति (केंद्रीय सरकार या किसी न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न) को नहीं बताएगा या बताने की अनुमति नहीं देगा और ऐसे एएसओसी धारक ऐसे संदेश का लिखित रूप में लिखित तैयार करने, प्रति बनाने या उपयोग नहीं करेंगे, या लिखित रूप में तैयार करने, प्रति बनाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।

9. साधारण रेडियो संचार प्रक्रिया-(1)(क) पारेषण से पूर्व, स्टेशन को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बर्तेगा कि उनके उत्सर्जन के कारण पहले से चल रहे पारेषण में हस्तक्षेप न हो। यदि ऐसे किसी हस्तक्षेप की संभावना होती है तो पारेषण को तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि चल रहे संचार में समुचित नियंत्रण न हो।

(ख) प्रमाण-पत्र में अंकित कॉल साइन को पारेषण की प्रत्येक अवधि के आरंभ और अंत में पहचान के लिए भेजा जाएगा। जब पारेषण की अवधि दस मिनट से अधिक हो जाती है तो कॉल साइन को दोहराया जाएगा। एएसओसी धारक बिना पहचान के या गलत पहचान के साथ पारेषण नहीं करेंगे।

(ग) लम्बी कॉल और पारेषण से बचा जाएगा।

(घ) जब कॉल साइन, कतिपय अभिव्यक्तियाँ, कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षरी, आकड़ें आदि का उच्चारण करना आवश्यक हो, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय में दिए गए ध्वन्यात्मक वर्णमाला और फिगर कोड का उपयोग किया जाएगा।

(2) कॉल और उत्तर की प्रक्रिया:

(a) कॉल में कॉल किए गए स्टेशन का कॉल साइन होगा, जो कि तीन बार से अधिक कॉल नहीं किया जाएगा; शब्द डीई (मोर्स पारेषण की दशा में) और शब्द "दिस इस" (टेलीफोनी की दशा में) कॉल करने वाले स्टेशन का कॉल साइन तीन बार से अधिक नहीं होगा।

(ख) कॉल के उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी- कॉल करने वाले स्टेशन का कॉल साइन, तीन बार से अधिक नहीं; शब्द डीई (मोर्स पारेषण की दशा में) और शब्द "दिस इस" (टेलीफोनी की दशा में)। कॉल किए गए स्टेशन का कॉल साइन, तीन बार से अधिक नहीं।

(ग) कॉल दो मिनट के अंतराल पर तीन बार भेजी जा सकेगी; उसके पश्चात् इसे 10 मिनट के अंतराल तक दोहराया नहीं जाएगा जिसके दौरान प्रचालक उस फ्रीक्वेंसी में सुनेगे जिस पर कॉल की गई है।

(घ) सभी स्टेशनों पर साधारण कॉल की दशा में सिग्नल 'सीक्यू' (रेडियोटेलीग्राफी की दशा में) और शब्द 'हैलो आल स्टेशन' या सिग्नल 'सीक्यू' (रेडियोटेलीफोनी की दशा में) कॉलिंग प्रक्रिया में कॉल किए गए स्टेशन के कॉल साइन का स्थान लेंगे।

(3) पारेषण और कार्य की समाप्ति:

(क) संदेश का पारेषण सिग्नल एआर (मोर्स पारेषण की दशा में) और शब्द 'ओवर' (टेलीफोनी की दशा में) द्वारा समाप्त किया जाएगा।

(ख) दो स्टेशनों के बीच कार्य की समाप्ति को उनमें से प्रत्येक द्वारा संकेत वीए (मोर्स पारेषण की दशा में) के माध्यम से और रेडियोटेलीफोनी की दशा में 'आउट' शब्द (या वीए जिसे विक्टर अल्फा बोला जाता है) द्वारा उपदर्शित किया जाएगा।

(4) परीक्षण:

(क) जब ट्रांसमीटर या रिसीवर के समायोजन या किसी प्रयोग के लिए परीक्षण संकेत बनाना आवश्यक हो तो ऐसे संकेतों को 30 सेकंड से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाएगा और यह वीवीवी की सीरीज से बना होगा जिसके बाद परीक्षण सिग्नल उत्सर्जित करने वाले स्टेशन का कॉल साइन होगा। रेडियोटेलीफोनी की दशा में वीवीवी की सीरीज को फिगर कोड में बोले गए 1,2,3,4... अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) 30 सेकंड से अधिक के परीक्षण के लिए आर्टिफिशल एरियल का उपयोग किया जाएगा।

एसओसी (ग) धारक केरियर वेव का उत्सर्जन नहीं करेंगे जब तक कि ऐसे केरियर वेव इंटेलिजिबल मॉड्यूलेशन के अधीन न हों।

10. निरीक्षण-

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप में निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी साधित्र की निरीक्षण, जांच या परीक्षण कर सकता है तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा जांच के लिए एसओसी धारक प्रमाण-पत्र, स्टेशन लॉग या अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध करवाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा जब एसओसी धारक को ऐसा करने के लिए कहा जाएगा तो वह प्रमाण-पत्र, लॉग बुक या कोई अन्य अभिलेख या डाटा, केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच के लिए भेजने की व्यवस्था करेंगे।

11. एसओसी धारक प्रमाण-पत्र द्वारा अनुज्ञात किसी भी कार्य से होने वाली किसी भी क्षति के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाए गए या किए गए सभी कार्यों, दावों और मांगों के खिलाफ केन्द्रीय सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे।

[फा. सं. 24-09/2024-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

G.S.R. 675(E).— Whereas a draft of the Telecommunications (Amateur Station Operator) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 47 read with clause (zi) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act *vide* notification of the Government of

India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 447(E), dated the 24th July, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 24th July, 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 25th July, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 47 read with clause (zi) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of the Indian Wireless Telegraphs (Amateur Service) Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing arrangements under those rules till the date of expiry of such arrangements, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Telecommunications (Amateur Services) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
- (b) “amateur radio equipment” means a radio equipment required for operating an amateur station;
- (c) “amateur services” means radio communication services for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by an amateur, that is, by a duly authorised person interested in radio technique, solely with a personal aim and without any pecuniary interest;
- (d) “amateur station” means a radio station operated by an amateur for amateur services;
- (e) “Amateur Station Operator Certificate” or ASOC, means the ASOC (General) or the ASOC (Restricted), as specified under sub-rule (2) of rule 3, and an “ASOC holder” means the person who has been granted such certificate under sub-rule (1) of rule 6;
- (f) “International Telecommunication Convention” means the Convention of the International Telecommunication Union signed at Geneva in 1992 or any subsequent revision or modification thereof, which the Government of India has ratified or accepted;
- (g) “portal” means the portal to be notified by the Central Government under rule 15 of these rules; and
- (h) “Radio Regulations” means the regulations adopted by the World Radiocommunication Conference (Geneva 1995) and includes every revision or modification thereof, which the Government of India has ratified or accepted;

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scope. – (1) No person shall install or operate an amateur station except under and in accordance with the terms and conditions of an ASOC granted under these rules.

(2) There shall be the following two categories of ASOC, which may be granted by the Central Government under sub-rule (1) of rule 6, namely,-

- (a) Amateur Station Operator Certificate- General, or ASOC (General); and
- (b) Amateur Station Operator Certificate- Restricted, or ASOC (Restricted).

4. Eligibility conditions for obtaining an Amateur Station Operator Certificate. – (1) The ASOC (General) or the ASOC (Restricted), as the case may be, shall be granted under sub-rule (1) of rule 6 to

any person, being a citizen of India, who,-

(a) is not less than twelve years of age; and

(b) qualifies the examination specified under rule 5 for the grant of an ASOC:

Provided that the Central Government may, subject to administrative clearance and such terms and conditions as it may specify from time to time, permit a person, not being a citizen of India, to undertake the examination under rule 5 for consideration of the grant of an ASOC, or grant him such certificate, subject to the provisions of sub-rule (2).

(2) The Central Government may, subject to the terms and conditions and administrative clearance of the Ministry of External Affairs, permit any person, not being citizen of India, who holds a certificate issued by a competent authority of that country similar to that granted under rule 6, to apply for grant of ASO Certificate under these rules, in the form as may specified for this purpose in the portal along with a fee of one thousand rupees.

(3) The Central Government may specify the list of countries, the certificates granted by which, may be considered for grant of ASOC under sub-rule (2).

5. Amateur station operator examination. – (1) Any person satisfying the eligibility criteria set forth under rule 4, as may be applicable, may make an application for appearing in the amateur station operator examination for obtaining the ASOC, to the Central Government, in the form specified for this purpose in the portal, one month before the date of such examination.

(2) An application under sub-rule (1) shall be accompanied by examination fee of one hundred rupees.

(3) The Central Government shall publish the syllabus, place, manner, date and time for the examination for obtaining the ASOC in either category as specified under sub-rule (2) of rule 3, including the date of announcement of the results of such examination.

(4) The language of such examination shall be English, and examination for ASOC (General) shall also require such proficiency in Morse Code as may be specified by the Central Government.

(5) The successful completion of the examination under this rule shall require a minimum of forty per cent of the total marks in respect of each category of ASOC.

6. Grant and validity of the Amateur Station Operator Certificate. – (1) The Central Government shall, upon successful completion of the examination under rule 5, issue any of the following categories of certificate, as applied for, along with unique call signs for amateur station operators, subject to payment of fees as specified below,-

Category of certificate	Fees
ASOC (General)	(i) One thousand rupees for validity period of twenty years; (ii) Two thousand rupees for lifetime validity.
ASOC (Restricted)	

Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expression “lifetime” means till the ASOC holder attains the age of eighty years.

(2) On successful completion of the examination by the applicant, payment for the grant of ASOC of either category shall be made within a period of two years from the date of declaration of results of the examination under rule 5, failing which no certificate shall be granted to such applicant:

Provided that such applicant, who becomes ineligible for grant of ASOC may apply for reappearing in the examination referred to in rule 5 for grant of the said certificate.

(3) In respect of applications for grant of ASOC under sub-rule (2) of rule 4, the Central Government may, after consideration of such applications, grant an ASOC for a duration that is co-terminus with the duration of the visa of such person, or for a period of twelve months, whichever is lesser.

7. General conditions applicable to an amateur station operator. – (1) An ASOC holder shall operate amateur stations on such frequency bands and emissions and transmit power as specified by the Central

Government in respect of each category of ASOC, and the holder of ASOC (General) shall be permitted use of more emission types and higher power as may be specified in his ASOC, than the holder of ASOC (Restricted).

(2) Every amateur station shall be installed and operated at the location specified in the ASOC in accordance with,-

- (a) the provisions of the Act and any rules made thereunder, as may be applicable;
- (b) the terms and conditions specified in Annexure A to these rules; and
- (c) the provisions of the International Telecommunication Convention or Radio Regulations.

(3) An ASOC holder shall not require a separate authorisation for the import of amateur radio equipment.

(4) The Central Government may modify, vary, cancel or revoke any of the conditions of the ASOC at any time either by specific notice in writing to the ASOC holder, or by uploading the said notice in the portal.

(5) The ASOC holder shall not claim any expense to give effect to any variations in the conditions of the ASOC as may be notified by the Central Government.

(6) The ASOC holder may apply for issuance of a duplicate of his ASOC or apply to change the location of the amateur station, upon payment of fees of one thousand rupees.

(7) The ASOC holder shall provide radio communication services in amateur services frequency band, at the request of the Central Government, or a State Government, or any officer specially authorised in this behalf by the Central Government or a State Government, during natural calamities and disasters, without any fees or charge.

(8) The ASOC holder may be permitted to install and operate an amateur station on board a ship registered in India, upon placing a specific request in the form as may be specified for this purpose in the portal, by the Central Government.

8. Renewal of Amateur Station Operator Certificate. – (1) An ASOC holder may apply for renewal of his ASOC by making an application in the form specified for this purpose in the portal, at least twelve months prior to the date of expiry of such certificate, along with payment of fees as specified in sub-rule (1) of rule 6:

Provided that any application for renewal after the expiry of such time period and up to two years after the date of such expiry, may be made upon payment of late fees of one thousand rupees:

Provided further that no application for renewal shall be considered if received after two years from the date of expiry of the ASOC.

(2) An ASOC with lifetime validity may be extended for ten years at a time, without any additional fees, upon specific request made by the ASOC holder in the form specified for this purpose.

9. Suspension or cancellation of ASOC. – The Central Government may suspend or cancel an ASOC, if in its opinion, the ASOC holder has, -

- (a) failed to comply with the terms and conditions of the ASOC granted under these rules, or the rules applicable in respect of operation of radio equipment, or any other provision of the Act; or
- (b) failed to comply with the applicable provisions of the International Telecommunication Convention or the Radio Regulations; or
- (c) wilfully furnished incorrect or false information to the Central Government:

Provided that no order of suspension or cancellation under this rule shall be made unless the ASOC holder has been given a reasonable opportunity of making a representation and being heard against such suspension or cancellation.

10. No refund of fees. – No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or cancellation of the ASOC for any reason whatsoever, or for any modification, variation, cancellation or revocation of terms and conditions of the ASOC.

- 11. Transfer or surrender of ASOC.** – (1) The ASOC shall be non-transferable.
- (2) The ASOC holder shall be permitted to surrender such ASOC at any point of time, provided that no refund of fees shall be granted for such surrender.
- 12. Use of ASOC for activities of an amateur society.** – (1) A group, comprising a minimum of four ASOC holders may submit an application in the form specified for this purpose in the portal, and payment of fees of two thousand rupees, to form an amateur society, for the purpose of installation and operation of an amateur station.
- (2) The application under sub-rule (1) shall specify one of the applicant ASOC holders as the custodian of the proposed amateur society and any change of custodianship of such amateur society to any other ASOC holder within such society, shall, within a period of thirty days of such change, be communicated to the Central Government in such form as may be specified for this purpose in the portal.
- (3) Upon receipt of the application under made sub-rule (1), the Central Government may grant permission subject to such terms and conditions as it may specify for the amateur society, along with a unique call sign, which shall be valid for a period of twenty years, or co-terminus with the validity of the ASOC of the custodian of such amateur society, whichever is lesser.
- (4) If any of the applicant under sub-rule (1) leaves the amateur society, the same shall be communicated within a period of thirty days from the date of leaving such society to the Central Government in the form specified for this purpose in the portal.
- (5) The permission granted under this rule shall continue to remain valid so long as at least four of the applicant ASOC holders under sub-rule (1) continue as members of the amateur society.
- 13. Issue of special call signs for specific events.** – (1) The Central Government may assign a special call sign for a specific event to ASOC holders and to the amateur societies constituted under rule 12, on receipt of an application in such form as may be specified for this purpose in the portal, and on payment of fees of two hundred rupees.
- (2) The application referred to in sub-rule (1) may be submitted at least ninety days before the specific event.
- (3) A special call sign assigned under sub-rule (1) shall be valid for a period of ninety days from the date of commencement of the specific event:
- Provided that* where the specific event extends beyond the said period of ninety days, the ASOC holder or the amateur society may apply for the special call sign by making a fresh application under sub-rule (1).
- 14. Inspection of records and calling for information.** – It shall be the duty of every ASOC holder to produce for inspection, records, as well as, amateur radio equipment, and to give any other information in connection therewith as may be required by an officer authorised for this purpose by the Central Government.
- 15. Digital implementation of these rules.** – The Central Government shall, in furtherance of section 53 of the Act, notify a portal for the digital implementation of these rules, including for submission of applications, publication of syllabus, place, manner, date and time of examination, declaration of results of examinations, and grant of ASOC and other permissions as specified under these rules.

Annexure A

(See rule 7(2)(b))

Terms and conditions for the installation and operation of amateur station

- 1. Use of the amateur station.** - The amateur station may be used for the purpose of receiving transmissions in the Standard Frequency and Time Signal Service to facilitate operation of the amateur station within the authorised frequency bands.
- 2. Messages.** - (1) (a) Radio communications may be exchanged with other authorised amateur stations. The amateur stations shall not communicate with amateur stations of countries whose administrations have notified the International Telecommunication Convention of their objection to such radio communications;

- (b) Transmissions shall be made in plain language and limited to messages of a technical nature.
- (2) The authorised entity shall not transmit messages containing, -
- (a) reproduction of broadcast programmes, tape recordings or transmissions of entertainment value or music;
 - (b) false or misleading calls, signals, news, advertisements, communications of business, statements on topics of political or industrial controversy, or third party messages; or
 - (c) use of indecent, obscene, offensive language, or signals.
- (3) In case of failure of normal telecommunication facilities, an ASOC holder maybe permitted by the Central Government or State Government to handle third party messages pertaining to natural or manmade calamities, originating from and addressed to a competent civil authority namely, District Magistrates or Deputy Commissioners or Collectors of the district or any other officer authorised by them.
- 3. Frequencies, emissions and power.** - The amateur station shall be operated on frequencies that are within the frequency bands authorised to respective categories of certificates and on such classes of emissions and power as specified by the Central Government.
- 4. Frequency control and measurement.** - (1) The transmitting apparatus shall be tuned as accurately as possible to ensure that no energy is radiant on any frequency outside the limits of the authorised frequency bands.
- (2) The ASOC holder shall have at the authorised amateur station, a reliable frequency measuring equipment to verify, each time the frequency of the transmitter is changed and whenever it is necessary to check that the emissions in the transmitted frequency, are within the authorised frequency bands. The ASOC holder shall take all steps necessary to maintain the accuracy of the frequency measuring equipment.
- (3) The Standing Advisory Committee for Frequency Allocation (SACFA) clearance shall be required for an amateur station, as applicable.
- 5. Non-Interference.** - (1) The amateur station shall be so designed, constructed, erected, maintained and worked so as not to cause interference with any authorised radio communication service.
- (2) In the event of interference being caused by the station, the ASOC holder shall discontinue, or restrict transmissions, pending adjustment of the equipment, on request from the Central Government or any land station.
- (3) The ASOC holder shall not use such emissions (damped waves) as may be specified by the Central Government.
- 6. Log diary of the radio service.** - (1) A chronological record of all transmissions emanating from or received at the amateur station shall be kept in bound book (not loose-leaf) showing the following, namely: -
- (a) date and time of each transmission;
 - (b) summary of the communications exchanged;
 - (c) brief description of the experiments and tests undertaken;
 - (d) call sign of station or stations with which messages have been exchanged, times and type of emission employed in each case;
 - (e) time of opening and closing down the amateur station; and
 - (f) in case of portable or mobile amateur station, the particulars of temporary location.
- (2) All times in the log shall be stated in the Indian Standard Time.
- (3) No gaps shall be left between entries in the log, and they shall be made at the time of receiving and transmitting.
- (4) ASOC holder shall preserve the log for a period of one year from the date of last entry therein before it

Provided that no log shall be destroyed for such further period as the Central Government may direct.

- | S. No. | Particulars of Apparatus | | | Name and address of the person from whom received (in case assembled by Authorised entity write self-made) | | Date of Receipt or assembly |
|--|--|----------------|------------|--|--|-----------------------------|
| | Make | Model and Type | Serial No. | | | |
| (1) | (2) | | | (3) | | (4) |
| | | | | | | |
| In case of purchase, give receipt no. and indicate the certificate no. of the seller | Name and address of the person to whom sold or transferred | | | Date of sale or transfer | Particulars of the certificate issued in the name of the purchaser | Remarks |
| (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) |

8. **Secrecy of correspondence.** - If any message which a ASOC holder is not entitled to receive, is received, such ASOC holder shall not make known or allow to be made known its contents, its origin or destination, its existence or the fact of its receipt to any person (other than to an officer duly authorised for this purpose by the Central Government or a court of law) and such ASOC holder shall not reproduce in writing, copy or make any use of such message or allow the same to be reproduced in writing, copied or made use of.
 9. **General radiocommunication procedure.** - (1)(a) Before transmitting, the station shall take precautions to ensure that its emissions will not interfere with transmissions already in progress. If such interference is likely, the transmission shall not commence till there is an appropriate break in the communications in progress.
(b) The call sign endorsed in the certificate shall be sent for identification at the beginning and at the end of each period of transmission. When the period of transmission exceeds ten minutes the call sign shall be repeated. ASOC holder shall not make transmission without identification or with false identification.
(c) Prolonged calls and transmissions shall be avoided.
(d) When it is necessary to spell out call sign, certain expressions, difficult words, abbreviations, figures etc., the phonetic alphabet and figure code given in the International Telecommunication Convention shall be used.
- (2) Call and Reply Procedure:
- (a) The call shall consist of the call sign of the station called not more than three times; the word DE (in case of Morse transmission) and the words "This is" (in case of telephony), the call sign of the calling station, not more than three times.
 - (b) The reply to call shall consist of - the call sign of the calling station not more than three times; the word DE (in case of a Morse transmission) and the words "This is" (in case of telephony), the call sign of the station called, not more than three times.

- (c) The call may be sent three times at intervals of two minutes; thereafter it shall not be repeated until an interval of 10 minutes during which the operator shall listen in the frequency band in which the call has been made.
- (d) In case of general call to all stations the signal 'CQ' (in case of radiotelegraphy) and the words 'Hello all stations' or the signal 'CQ' (in case of radiotelephony) shall replace the call sign of the station called in the calling procedure.

(3) End of Transmission and Work:

- (a) Transmission of a message shall be terminated by the signal AR (in case of Morse transmission) and the word 'Over' (in case of telephony).
- (b) The end of work between two stations shall be indicated by each of them by means of signal VA (in case of Morse transmission) and by the word 'OUT' (or VA spoken as Victor Alfa) in case of radiotelephony.

(4) Tests:

- (a) When it is necessary to make test signals either for the adjustment of a transmitter or a receiver or for any experiment, such signals shall not be continued for more than 30 seconds and shall be composed of series of VVV followed by the call sign of the station emitting the test signals. In case of radiotelephony, series of VVV shall be replaced by the figures 1,2,3,4... spoken in the figure code.
- (b) For tests exceeding 30 seconds, an artificial aerial shall be used.
- (c) The ASOC holder shall not emit carrier wave unless such carrier wave is subjected to intelligible modulation.

10. Inspection. - (1) Any officer authorised by the Central Government in writing, to carry out an inspection, may inspect, examine, or test any apparatus, and the ASOC holder shall produce the certificate, the station log or other records for examination by the inspecting officer.

(2) The ASOC holder when called upon to do so by the Central Government shall arrange to forward the certificate, the log book, or any other record or data for examination by the Central Government.

The ASOC holder shall indemnify the Central Government against all actions, claims and demands which may be brought or made by any person in respect of any injury arising from any act permitted by the certificate.

[No.24-09/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.